20/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक तामील की रसीद पेश नहीं की। अतः वादी का वाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 2 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।